

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) सहायक कलक्टर भीलवाडा  
उनवान

किशना पिता टोडू कोली मृतक जरिये विधिक वारिसान -

- 1- सोहनलाल पिता किशना कोली, निवासी-पुर, तहसील व जिला-भीलवाडा।
- 2- चुन्नीलाल पिता किशना कोली, निवासी-पुर, तहसील व जिला-भीलवाडा।
- 3- कोयल पुत्री किशना कोली, निवासी-पुर, तहसील व जिला-भीलवाडा।
- 4- गट्टू पुत्री किशना कोली, निवासी-पुर, तहसील व जिला-भीलवाडा।
- 5- टम्मू पुत्री किशना कोली, निवासी-पुर, तहसील व जिला-भीलवाडा।

--वादीगण

बनाम

गोटू पिता रूपा कोली मृतक जरिये विधिक वारिसान-

- 1- बालू मुतबन्ना भूरा कोली, निवासी-पुर, तहसील व जिला-भीलवाडा।
- 2- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

--प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88-89-92क-188, 53-54  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रकरण संख्या 37/2019 राजस्व वाद

निर्णय दिनांक 14.08.2020

आज तारीख 14.08.2020 को धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है-

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मुरलीधर व्यास उपस्थित व प्रतिवादी संख्या 1 का पूर्व में इकबालीया जवाब प्राप्त हो चुका है वादपत्र अनुसार विभाजन कर दिया जाये तो मुझ प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है। इस वाद के आज दिनांक 14.8.2020 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

ग्राम पुर, पटवार हल्का पुर, भू अभिलेख क्षेत्र पुर, तहसील भीलवाडा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, उसी अनुसार भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें -

किशना पिता टोडू कोली मृतक जरिये विधिक वारिसान वादीगण सोहनलाल, चुन्नीलाल पिता किशना कोयल, गट्टू टम्मू पुत्रीया किशना कोली निवासी-पुर तहसील व जिला-भीलवाडा के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नं.	रकबा	लगान
5839	1.07.10	-
किता 01	कुल रकबा 1.07.10 बीघा	-

गोटू पिता रूपा कोली मृतक जरिये विधिक वारिसान प्रतिवादी सं0 1 श्री बालू मुतबन्ना भूरा कोली निवासी पुर तहसील व जिला-भीलवाडा के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नं.	रकबा	लगान
5839/1	008.10	-
5832	0.19.00	-
किता 02	कुल रकबा 1.07.10 बीघा	-

उक्तानुसार भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम भूमि हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। आज दिनांक 14.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर से जारी की

गई।



*(Signature)*  
(धायगुडे स्नेहल नाना)  
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)  
सहायक कलक्टर  
भीलवाडा